



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/470

दिनांक: -03/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (11) कम्पनियों का नाम **गुजरात** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hidni Name
1	AA8272735	U66190GJ2024PTC148597	माहिर फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8601734	U36999GJ2022PTC132832	स्टाइलमंत्रास प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8553539	U24230GJ2021PTC126661	डीएलएस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7809848	U74999GJ2019OPC106247	अलीशान.वर्क (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8878541	U92100GJ2020PTC119137	ओएएफएफ म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8767169	U17116GJ2001PTC039573	सारथी फाइन फैंब प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8343605	U45201GJ2004PTC044079	देव नंदन रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8371333	U45201GJ2004PTC043561	श्री स्वामीनारायण एवेन्यू (नारणपुरा) प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8608217	U51909GJ2004PTC044934	आसरा ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7998360	U24231GJ1993PTC019267	रायको केम प्राइवेट लिमिटेड,
11	AA8555324	U64201GJ1995PTC025451	नो बैरियर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड,

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्टार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्टार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्टार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्टार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0233/2425